1:20:53 AM

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 2927 / FP/UK/ROAD/145468/2021 :देहरादूनः दिनांकः 07 जून, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमांऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः–जनपद–चम्पावत के अन्तर्गत बिनवालगांव–कलियाधूरा–छिड़ाखान मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.721 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

संदर्भः–आपका पत्रांक 5097/12–1(2) दिनांक 17.05.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की 03 हार्ड प्रति आपके सन्दर्भित पत्र के द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। प्रस्तुत प्रस्ताव के गहन अवलोकन करने के पश्चात प्रस्ताव में निम्नानुसार अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवष्यक हैः–

1. प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये विषय सूची तैयार कर प्रस्ताव पर संलग्न करें।
2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–I, भाग–II , भाग–III, भाग–IV व भाग–V को कम वार प्रस्ताव के आरम्भ में संलग्न करें।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र का चयन सिविल सोयम भूमि में करते हुये योजना एवं मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
4. प्रस्तावित मोटर मार्ग में बांज वृक्षों का पातन निहित है, अतः बांज वृक्षों के पातन सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
5. प्रस्तावित परियोजना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना एवं एन0पी0वी0 की धनराशि वर्तमान दरों के अनुसार निर्धारित कर प्रस्ताव में संलग्न करें।
6. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्रों के अनुसार प्रस्तावित मोटर मार्ग की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2008 की संलग्न की गयी है, जबकि प्रस्तावित मार्ग निर्माण का प्रस्ताव का गठन 12–14 वर्ष के उपरान्त किया जा रहा है। स्थिति स्पष्ट करें।
7. प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट–I, A(iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करें।
8. प्रस्ताव में ऑनलाईन फार्म A, Part-I में B2.3 B2.4 और B2.2 में भरे गये वन भूमि के क्षेत्रफल में भिन्नता है। कृपया सही क्षेत्रफल प्रस्ताव में अंकित करें।
9. प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।
10. प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
11. ऑनलाईन पार्ट–I में Employment detail नहीं भरी गयी है।
12. क्षतिपूरक वृक्षारोपण के स्थान पर सगरेखण के जी0पी0एस0 मानचित्र अपलोड किये गये है।
13. पार्ट–II के पैरा–2 एवं 3 में भरी गयी क्षेत्रफल के विवरण में भिन्नता है।
14. पार्ट–II के पैरा–5 में Working Plan का विवरण नहीं भरा गया है।
15. पार्ट–II के पैरा–13 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विवरण सही नहीं भरा गया है।
16. पार्ट–II में वन संरक्षक की संस्तुति अपलोड नहीं की गयी है।
17. पार्ट–II के अतिरिक्त सूचना में एन0पी0वी0, बार चार्ट, लैण्ड शैड्यूल, वृक्षों की सूची एवं DSS analysis की रिपोर्ट अपलोड नहीं की गयी है।

अतः उक्त आपत्तियों के निराकरण करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी को अपने स्तर से निर्देषित करते हुये कमियों का निराकरण कर पूर्ण प्रस्ताव ऑनलाईन/ऑफलाईन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

11:20:53 AM

संख्या :– / FP/UK/ROAD/145468/2021 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण करवाकर प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रस्ताव में इंगित कमियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें तथा कमियों का निराकरण कर पूर्ण प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(डॉ० कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,